राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

04,संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 0141–2716800, 2716814, 2716907

क्र. एफ 8(80) बगीचा रख–रखाव/सा.मा./रा.प्र.नि.मं./615-618 दिनांकः– 12/02/2021

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कार्यालय के परिसर के बगीचे जिसका क्षेत्रफल लगभग 18,000 वर्ग फीट है एवं परिसर के अन्दर व बाहर लगे पेड पौधौं, तथा गमलों, (लगभग 200) के ठेके पर रख–रखाव के लिए वार्षिक अनुबन्ध हेतु विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं/फर्मो/एजेन्सियों से मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्राप्ति की प्रांरभिक तिथि	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की समय व तिथि
बगीचा तथा पेड़–पौधो का रख–रखाव	3.50 लाख रूपये	3,500/– रूपये	15.02.2021	24.02.2021 को सांय 03:00 बजे तक	24.02.2021 को सांय 05:00 बजे

निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के कार्यालय पता 4, सांस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर (दूरभाष संख्या 0141–2716814) से अथवा मण्डल की वेबसाइट http://environment.rajasthan.gov.in तथा पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in/ उपापन पोर्टल पर देखे व डाउनलोड किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क की राशि 200/– रूपये एवं अमानत राशि 3,500/– रूपये सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के पक्ष में डी.डी./बैकर्स चैक/नगद के रूप में संलग्न करनी होगी।

(डॉ0 गोबिन्द सागर भारद्वाज)
सदस्य सचिव

क्रमांकः–एफ 8 (80)/बगीचा रख रखाव/रा.प्र.नि.मं./ दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. अति0 निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. मुख्यलेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं.,जयपुर।
4. ए.सी.पी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट उपानन पोर्टल पर अपलोड करें।
5. नोटिस बोर्ड, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
04,संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 0141–2716800, 2716814, 2716907

निविदा फार्म (2021–2022)

उद्यान संधारण हेतु एक वर्ष के लिए निविदा

1. निविदादाता का नाम/फर्म का नाम व पताः
   (मय दूरभाष/मोबाइल तथा ई–मेल)
2. डाक का पूरा पता मय टेलीफोन नं.
   (तत्सम्बन्धी साक्ष्य संलग्न किये जावे)
3. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगाः–

क्र.सं.	विवरण	रजिस्टर संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

4. जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी:–

क्र.स.	सेवा का नाम	श्रमिकों का देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	श्रमिकों की संख्या	न्यूनतम मजदूरी दर	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिव्यक्ति दर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उद्यान संधारण/ रख–रखाव	कुशल बागवान	1	6474/–		13%	3.25%			
		अकुशल हेल्पर–	3	5850/–						

5. अमानत राशि का विवरण (1) बैंकर्स चैक/ ड्राफ्ट नं.
(2) राशि ....
(3) बैंक का नाम

6. निविदा शुल्क का विवरण

7. कार्यानुभव:–

(1) राजकीय विभाग/कम्पनी/संस्था का नाम व पता जिसमें निविदादाता द्वारा उद्यान संरक्षण सम्बन्धी कार्य किया है..

(2) अवधि (तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न की जावें)

निविदादाता फर्म का पता प्रमाणित करने हेतु तत्सम्बन्धी साक्ष्य की प्रमाणित सत्य प्रति मय फर्म रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम/मैसर्स.......................................

पता...

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

04,संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 0141–2716800, 2716814, 2716907

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर मुख्यालय भवन स्थित उद्यान का रख–रखाव एवं सजावटी गमलों की देख–रेख सम्बन्धी कार्य का पूर्ण विवरण एवं ठेके की शर्ते :–

कार्य का विवरण :–

1. मण्डल परिसर जिसका क्षेत्रफल लगभग 18,000 वर्गफीट है, में घास एवं पेड पौधो की देखभाल करना, गमलों में पौधे को लगाना, पौधों व घास की समय–समय पर निराई, गुड़ाई करना व पानी देना, खाद देना, उनकी बढवार हेतु व कीट आदि के बचाव हेतु दवाईयों का उपयोग करना, पौधे परिर्वतन आदि की व्यवस्था समय–समय पर ठेकेदार को करनी होगी।
2. उपरोक्त कार्य को सम्पादित करने हेतु कम से कम एक बागवान व चार सहयोगी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से लगाने होगें।
3. गमलों की समय–समय पर सफाई, धुलाई, व रंगाई ठेकेदार को करनी होगी।
4. मण्डल परिसर एवं फुटपाथ के पास खाली पडे स्थान पर भी ठेकेदार को पेड़–पौधे लगाने होंगें।
5. मण्डल भवन में उद्यान व गमलों के आस–पास सफाई व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी।
6. मौसमी फुलवारी मौसम अनुसार पूरे बगीचे परिसर में लगाना एवं मौसम बदलने पर नवीन पौध तैयार करना एवं लगाना।
7. बगीचे में लगी घास से खरपतवार निरन्तर हटाना एवं अधिक खरपतवार वाले स्थानों पर नई लॉन लगाना।
8. समय–समय पर उद्यान की घास की कटाई एवं उद्यान में जंगली घास एवं बेकार पौधे उगने की स्थिति में उनको निकालने का कार्य ठेकेदार को करना होगा।
9. उद्यान एवं पौधों के लिए सामग्री पौध, खाद, दवाईयाँ आदि की आवश्यकता पडने पर समय से पूर्व लिखित में मण्डल के केयर टेकर को सूचित करना होगा।
10. पेड़–पौधों के रख–रखाव की जिम्मेदारी निविदा प्राप्त कर्त्ता की होगी। पेड़–पौधों के सूखने पर ठेकेदार को स्वयं अपने खर्चे पर उसी स्थान पर दूसरा पौधा/पेड़ लगाना होगा।
11. प्रत्येक माह का भुगतान केयर टेकर एवं प्रभारी अधिकारी (प्रशासन) द्वारा उस माह में किये गये कार्य का सत्यापन करने के पश्चात् ही किया जाएगा। अगर कार्य असंतोशजनक पाया गया तो बिल राशि में से उचित राशि की कटौती की जा सकेगी।
12. निविदादाता को उद्यान की व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)/केयर टेकर अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी एवं बिना किसी विवाद के कार्य करना होगा।
13. गमले, पौधे, बीज, खाद, दवाईयाँ एवं उद्यान सम्बन्धी उपकरण अन्य कोई भी सामग्री मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। उद्यान सम्बन्धी उपकरणों को रखने की व्यवस्था कर

दी जाएगी। उपकरणों के रख–रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। जिसे ठेका समाप्त होने पर सभंलवाना होगा।

14. उद्यान हेतु पानी की उपलब्धता मण्डल द्वारा की जावेगी। जिस समय मण्डल में पानी की मोटर/पम्प चालू किया जावें उसी समय ठेकेदार को उद्यान, पेड़–पौधौं में पानी देने की व्यवस्था करनी होगी।

उद्यान संधारण कार्य के लिए मांगी जाने वाली निविदा के लिए शर्तेः–

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए एवं निविदा भेजते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। निविदादाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई संदेह हो तो उसे निविदा प्रस्तुत करने से पहले श्री के.सी. गुप्ता प्रभारी प्रशासन से सम्पर्क कर (0141–2716814, 9079932615) स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में मण्डल का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।

1. निविदायें मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकृत की जावेंगी। निविदा प्रपत्र सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर के कार्यालय से निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू 200/– नकद/डी.डी. /बैंकर चैक जमा करवाकर केशियर से प्राप्त किया जा सकेगा। इस निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कार्य एवं निविदा किसी अन्य को हस्तान्तरित नही किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र मण्डल की वेबसाइट http://evinorment.rajasthan.gov.in/rpcb अथवा http.sppp.rajasthan.gov.in/ से देखे व डाउनलोड किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू0 200/– सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल के नाम डीडी/बैकर्स चैक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा इसके अभाव में निविदा मान्य नही होगी।

2. निविदा ठीक प्रकार से भरी जाकर सील बन्द लिफाफो में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर (बागवानी कार्य हेतु निविदा) अंकित कर लिफाफे पर सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर को संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साृधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः निर्धारित तिथि एवं तय समय तक कार्यालय में पहुॅच जाना चाहिए।

3. निविदादाता को **जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम/सचिवालय/विधानसभा, राजकीय कार्यालय उपक्रमों इत्यादि** के उद्यानो में बागवानी कार्य प्रदान करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

4. निर्धारित तिथि को निश्चित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा।

5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–2 (1)वित्त/जी एण्ड टी/एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र प्रस्तुत की जा सकती है। यह घोषणा पत्र पर 50/– रू. की स्टाम्प डयूटी तथा इस पर 30% सरचार्ज देय पर दी जा सकेगी।

6. सफल (निविदादाता) को निविदा स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर स्वंय के खर्चे पर रूपये 500/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

7. निविदा (ठेका) अनुमोदन होने पर कार्य आदेश के सात दिवस में ठेके के राशि का 2.5 % के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में सदस्य सचिव, राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नही होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने अथवा किसी प्रकार का विवाद नहीं होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी।

8. अनुबन्ध नहीं करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर स्वीकृत निविदादाता की जमा अमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी अथवा नियमानुसार अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

9. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

10. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

11. संवेदक को देय पारिश्रमिक राशि पर जी.एस.टी. की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये जी.एस.टी. के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। जी.एस.टी. की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में बस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी. का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रंकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों , उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवदेक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों , उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवदेक स्वयं जिम्मेदारी होगा।

13. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

16. यह बोली केवल वही व्यक्ति/फर्म प्रस्तुत कर सकती हैं जो श्रम विभाग एवं GST विभाग में में पंजीकृत हो। ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई का पंजीयन भी नियमानुसार होना आवश्यक है। पंजीयन की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

17. निविदादाता द्वारा उसे देय पारिश्रमिक में से EPF एवं ESI की राशि एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि काटकर प्रतिमाह जमा करायी जायेगी एवं पिछले माह जमा करवाये गये चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ साक्ष्य के रूप में बिल के साथ प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह की बिल पारित किया जावेगा। इसके पश्चात् ही अगले माह का बिल पारित करना सम्भव होगा।

18. निविदादाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें राज्य सरकार/श्रम विभाग की प्रभावी दरें प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. कार्य सम्पादन के दौरान फर्म के द्वारा लगाये गये बागवान एवं हेल्पर को किसी प्रकार की दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने, ई.एस.आई. करवानें/सम्पूर्ण बीमा दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

20. उद्यान में लगें पेड़–पौधे व परिसर के बाहर मण्डल द्वारा लगाये गये पौधौं की देख–भाल हेतु ठेकेदार को कम से कम एक बागवान व तीन हेल्पर प्रतिदिन उपलब्ध करवाने होगें जो प्रत्येक दिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक मण्डल में उपस्थित रहकर उद्यान का कार्य करेंगें। अनुभवहीन बागवान को नियुक्त करने पर उसे हटा दिया जाएगा, तथा पेनल्टी के रूप में 150/– रूपये प्रति बागवान प्रतिदिन की दर से राशि निविदादाता के उस माह के बिल से काटी जाएगी।

21. निविदादाता को उद्यान संधारण कर्मियों की उपस्थिति पंजिका स्वंय के स्तर पर संधारित करनी होगी। उपस्थिति रजिस्टर स्वागत कक्ष में रखना होगा। जिसका मण्डल के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कभी भी आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेंगा।

22. यदि निविदादाता द्वारा लगाए गए कुशल बागवान अनुपस्थिति/अवकाश पर (एक दिवस के लिए भी) चले जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। वह अन्य बागवान की व्यवस्था कर मण्डल के बगीचे के रख–रखाव का कार्य करवायेंगा अन्यथा उस माह की भुगतान राशि से अनुपस्थिति अवधि के लिए आनुपातिक राशि/एवं पेनल्टी प्रतिदिन प्रति बागवान/सहयोगी रूपये 150/– काटकर भुगतान किया जाएगा।

23. मण्डल को यह अधिकार होगा कि वह निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे अथवा स्वीकृत निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर दें।

24. यह निविदा एक वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, किन्तु निविदादाता की सेवाये संतोषप्रद होने पर निविदादाता एवं मण्डल की आपसी सहमति के आधार पर सेवा अवधि एक वर्ष के लिये विद्यमान अनुमोदित दर एवं शर्तो पर बढायी जा सकेगी।

25. निविदा अवधि के पश्चात् समान शर्तो व स्वीकृत दरों के आधार पर निविदा काल में वृद्वि पर परस्पर सहमति न होने पर राज्य मण्डल नवीन निविदायें आमंत्रित करेगा एवं नवीन निविदाओं के स्वीकृत होने अथवा आगामी तीन माह (जो भी पहले हो) तक निविदादाता स्वीकृत दर पर ही मण्डल में बागवानी कार्य कराने के लिये बाध्य होगा और ऐसा नही करने पर इसे निविदा शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा तथा निविदादाता की जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा एवं उसके खर्चे/जोखिम पर वैकल्पिक माध्यम से उद्यान संधारण कार्य सम्पादित करवाया जा सकेगा।

26. निविदादाता को संविदा की दर स्वीकृत होने के बाद, पूर्ण निविदाकाल एवं बढी हुयी निविदा अवधि के लिए नियमित रूप से उद्यान संधारण कर्मियों को मण्डल में उपलब्ध करना होगा। निविदादाता के निविदा काल के बीच में कार्य छोड़ने पर अथवा शिकायतों के फलस्वरूप मण्डल के द्वारा ठेका निरस्त किये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी।

27. निविदादाता के मासिक बिल की राशि पर नियमानुसर आयकर/टी.डी.एस इत्यादि राशि मण्डल कार्यालय द्वारा काटी जावेगी जिसका प्रमाण पत्र मण्डल द्वारा निविदादाता को दिया जावेगा।

28. यदि निविदादाता द्वारा कार्य संतोषप्रद नही किया जाता है या निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या मण्डल के निर्देशो की पालना नहीं की जाती है तो उसे निविदादाता की ओर से अनुबन्ध भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में निविदा समाप्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार मण्डल को होगा। इसके अतिरिक्त निविदादाता के उत्तरदायित्व /खर्चे /जोखिम पर उद्यान संधारण कार्य अन्य वैकल्पिक माध्यम से करवाया जावेगा।

29. सफल निविदादाता किसी अन्य फर्म, निविदादाता या समिति को निविदा से सम्बन्धित कार्य सब लेट नही करेगा। इस तरह की किसी भी सूचना या विवरण मिलने पर राज्य मण्डल को निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

30. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

31. संविदा की प्रस्तावित दर अंको व शब्दो में समान होनी चाहिए। अंको व शब्दों में अन्तर होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। दर में किसी प्रकार भी कोई काट–छांट उपरी लेखन नही होनी चाहिए, यदि काट–छांट हो गई हो तो उस पर निविदादाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर किये जाकर उसे प्रमाणित किया जावें।

32. केयरटेकर/प्रभारी (प्रशासन) एवं उच्च अधिकारियों को समय–समय पर बागवानी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर निविदादाता के पारिश्रमिक से प्रतिदिन की राशि में कार्य मूल्याकन के आधार पर आनुपातिक रूप से कटौती की जायेगी।

33. उक्त निविदा में अंकित समस्त शर्तों को मैंने/हमने पढ ली है ओर सभी शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम/मैसर्स..................................

पता...